2

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 22/2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्रीमती रामेश्वरी सिंह पत्नी खेमचन्द जाति जाट निवासी आबूसर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वितीय अपील विरूद्व निर्णय जिला कलेक्टर झुंझुनू दिनांक 21.05.2015 अपील संख्या 23/2014 उनवानी रामेश्वरी सिंह बनाम सरकार व निर्णय तहसीलदार झुंझुनू दिनांक 12.05.2014 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वरी सिंह मु.नं. 34/2013 अ.धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री प्यारेलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
2. राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह द्वितीय अपील प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 23/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अपीलांट के विरूद्व खसरा नम्बर 386 ग्रम सीतसर में 0.20 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह पर अतिक्रमण मानते हुये निर्णय दिनांक 12.05.2014 से बेदखली के आदेश पारित किये है। जिसके विरूद्व अपीलांट ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की जो विचाराधीन निर्णय से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार झुंझुनू को रिमाण्ड किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर 0.20 हैक्टेयर पर गैर मुमकिन चारागाह पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है प्रथम अपील न्यायालय को अपीलांट की सम्पूर्ण अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

चाहिए था। प्रथम अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत नही है। अत अपील पूर्णत स्वीकार कर दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रकरण रिमाण्ड किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अतिक्रमण का नोटिस ग्राम सीतसर की भूमि के सन्दर्भ में दिया गया है। जबकि निर्णय में ग्राम आबुसर अंकित है इसी विरोधाभास के कारण प्रथम अपील न्यायालय में प्रकरण तहसीलदार झुंझुनू को प्रति प्रेषित किया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये नजरी नक्शे में अपीलांट द्वारा आक्षेपित खसरा नम्बर 386 के साथ खसरा नम्बर 222 दिखाया हुआ है। यह खसरा नम्बर आबुसर के है या सीतसर के है इसकी जांच की जाना आवश्यक है अत प्रथम अपील न्यायालय ने प्रकरण विधिवत रूप से रिमाण्ड किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर